

By Speed Post

No. 14039/14/2014-UTS.II
Government of India
Ministry of Home Affairs


North Block, New Delhi-110 001.
Dated the 06th February, 2014.

Sub: Information sought by Shri Sonu Singh under the RTI Act, 2005- regarding.

With reference to his application dated 29.11.2011 filed by Shri Sonu Singh, Village Sahijna Road, Near Sahijna Mill, PO & Distt. Garhwa, Jharkhand, a copy of which has been received through the Director & CPIO, CS Division, MHA in the UTS-II Section/MHA on 31.01.2014, the applicant is informed that no such data is maintained in UTS-I & UTS-II Sections.

2. The name and address of the Appellate Authority is as under:

Shri I.S. Chahal,
Joint Secretary (UT)
Ministry of Home Affairs, North Block,
New Delhi - 110001




(Anuj Sharma)
Director (Services)/CPIO
Tele No.2309-2436

To

Shri Sonu Singh,
Village Sahijna Road,
Near Sahijna Mill,
PO & Distt. Garhwa,
Jharkhand - 822 114.

Copy for information to:

Shri K. Muralidharan, Director & CPIO, CS Division, Ministry of Home Affairs, 5th Floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi.



(Anuj Sharma)
Director (Services)/CPIO
Tele No.2309-2436

जारी किया/ISSUED

दिनांक/Date.....
पदा./Sign..... 06.2.14

सूचना का अधिकार आदेश

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत)

प्रेषक:

दिनांक 29.11.11

शोनु सिंह,

ग्राम - सहीजना रोड, नजदीक सहीजना मील

पो 4 जिला - गडवा,

शारखम्ड - 822114

सेवा में,

केन्द्रीय जन सूचना पदाधिकारी,

केन्द्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार,

नया ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत उपबन्धित प्रावधानों के तहत माने गए विषयों से संबंधित सही एवं आवेदित सूचना अभिप्रायित प्रमाणों के साथ उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक निवेदन करता हूँ कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अधीन उपबन्धित संबंधित प्रावधानों के अलावा के मध्य गए दिनों से संबंधित विहित सूचना अभिप्रायित प्रमाणों के साथ उपलब्ध कराने का अधिनियम में निर्धारित 30 दिनों की संबंधित समयवधि के भीतर उपलब्ध कराई जाए।

मांगी जा रही सूचना निम्नलिखित हैं :-

01. यह कि पूरे भारत में सूचना का अधिकार कानून 2005 के पारदर्शी रूप से अनुपालन किए जाने हेतु माननीय भारत सरकार के तत्सदस्यी स्तर से जारी निर्देशों व आदेशों की वृद्धि प्रति उपलब्ध करायी जाए।

02. यह कि पूरे भारत में सूचना का अधिकार कानून लागू होने के पश्चात अवतक कितना ऐसे लोग हैं जो कि सूचना का अधिकार कानून का उपयोग करने के कारण इताहत हुए हैं। विहित सूचना उपलब्ध कराई जाए।

03. यह कि सूचना का अधिकार कानून का उपयोग करने वाले लोगों को सुरक्षा व संरक्षण देने के निमित्त माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा पारित आदेशों व निर्देशों की वृद्धि प्रति उपलब्ध कराई जाए।

DSCCS/
DOPT

NAC

NAC
washingtonNAC
Washington


(S)

अधोहस्ताक्षरी के द्वारा सूचना का अधिकार आवेदन शुल्क के रूप में निर्धारित ₹10/- रु की राशि का भुगतान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन उपस्थित प्रावधानों के अनुरूप मूल रूप में सूचना का अधिकार आवेदन के साथ समर्पित किया जा रहा है।

अतएव आगेसे अनुरोध है कि उपर्युक्त अंकित सूचना बिन्दुओं से संबंधित वांछित एवं राही सूचना अभिप्रायित प्रमाणों के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में निर्धारित 30 दिनों की समयवधि के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे। सूचना उपलब्ध कराने के एवज में भुगतान की जाने वाली राशि की गणना सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) 2005 की धारा 4 के अनुरूप गणना की जाए। साथ ही साथ पन्नों की संख्या को सूचना बिन्दुवार रूप से उल्लेखित किया जाए। निवेदन है कि विषयों से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी का विलोपन नहीं किया जाए।

सहयोग के लिए धन्यवाद।

विश्वासभाजक



(आनंद सिंह)

(आवेदक)

स्थान: दिल्ली / दिनांक: 29.11.11

अनुलग्नक संलग्न :-

1. सूचना का अधिकार आवेदन शुल्क के रूप में मूल्य रुपये ₹ 10. /- की राशि प्रावधानों के अनुकूल पोस्टल ऑर्डर संख्या SE 118212 द्वारा मूल रूप में समर्पित।